न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 06/2019

1. अमरचन्द पुत्र श्री रामूराम जाति जाट पूनियां निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. अनोखाराम पुत्र अमरचन्द जाति जाट पूनियां निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. सुगनाराम पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. श्योकरण पुत्र अमरचन्द जाति जाट पूनियां निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत दीपलाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दीपलाना तहसील नोहर।
3. ग्राम पंचायत बडबिराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बडबिराना तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र मनफुल जाति खाति निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. दलीप कुमार पुत्र कंवरसैन जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. महेन्द्र सिंह पुत्र बेगराज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण सख्यां 6/19 बअनवानी हंसराज आदि बनाम अमरचन्द आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिसकी रूह से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पटटे खारिज किये गये को अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री हरिसिंह सिहाग, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः– 05.02.2020

प्रार्थीगण ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 09.07.2019 के विरूद्व निगरानी पेश कर निवेदन किया कि–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. निगरानीधीन विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण सख्या 6/19 बअनवानी हंसराज आदि बनाम अमरचन्द आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 09.07.2019 संलग्न निगरानी है।

2 अप्रार्थीगण सख्या 4 ता 7 ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की तथा प्रार्थी संख्या 1 अमरचन्द के पक्ष में पटटा दिनांक 04.12.1972 व प्रार्थी संख्या 2 अनोखाराम व प्रार्थी सख्या 3 सुगनाराम व प्रार्थी सख्या 4 श्योकरण के पक्ष में दिनांक 25.10.1991 को प्रत्येक के 75 गुणा 100 फुट के पटटे मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय से खारिज किये है, जबकि मातहत अदालत के समक्ष अप्रार्थीगण सख्या 4 ता 7 द्वारा अलग–अलग 4 पटटों आदेशों की अपील करनी चाही थी परन्तु उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ही अपील में चार अलग–अलग आदेशों की है। जबकि अलग–अलग आदेश की अलग–अलग अपील होनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर विधि की स्पष्ट अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्तनीय है।

3 प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पटटा दिनांक 04.12.1972 को जारी किया हुआ है यानि आज से 46 वर्ष में पटटा जारी हुआ इसमें अतिरिक्त प्रार्थी सख्या 2 ता 4 के पक्ष में 25.10.1991 को पटटे जारी हुये है यानि 27 वर्ष पूर्व पटटे जारी हुवे इतनी लम्बी अवधि व्यतित होने पर अप्रार्थीगण सख्या 4 ता 7 द्वारा प्रस्तुत अपील काल बाधित हो गई थी तथा अपील मियाद के बिन्दु पर ही प्रथम दृष्टया खारिज योग्य थी। मातहत अदालत अपील की समय अवधि बढ़ाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए अपीलाधीन निर्णय मियाद अधिनियम के विरूद्ध है तथा अपास्तनीय है।

4 अप्रार्थी सख्या 4 ता 7 व्यथित पक्षकार नहीं थे। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा पैरवी करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। उक्त आश्यों का कोई दस्तावेज पत्रावली पर अप्रार्थीगण सख्या 4 ता 7 ने अधिकार पत्र अधिकृत पत्र प्रस्तुत नहीं किया मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु की जॉच किये बिना गैरकानूनी तरीके से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

5 अप्रार्थी सख्या 4 ता 7 ने वादस्थल को जोहड़ बताकर अपील प्रस्तुत की थी परन्तु वाद स्थल आबादी भूमि है पटटे जारी करते वक्त राज्य सरकार के कर्मचारी ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सचिव के हस्ताक्षर है तथा ग्रामीण विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होने से यह उपधारणा की जानी आवश्यक है कि पटटे आबादी भूमि के ही है इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का से मातहत अदालत ने कोई पैमाईश नहीं करवाई केवल पटवारी ही यह पैमाईश से सिद्ध कर सकता था कि भूमि आबादी है या जोहड़। मातहत अदालत ने जिन व्यक्तियों से मौका स्थल का परिक्षण करवाया उन्होंने

किस मरगज से जरीब चलाई कहा तक आबादी का निशान है स्पष्ट नहीं किया, इसके अतिरिक्त गौचर बावड़ी व जोहड़ क्षेत्र के विषय सुनवाई का अधिकार मातहत अदालत को नही है। मातहत अदालत ने केवल Vigilence Committee के आधार पर निगरानीधीन निर्णय दिया है, जो कानूनी वैधता नहीं रखता है इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

6 प्रार्थीगण के पक्ष में पटटे जो प्रशासन द्वारा जारी किये गये है वे पटटे नियमानुसार जारी किये गये है तत्समय पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 19.06.1991 को समाप्त होने के कारण पंचायतें भंग हो गई थी किन्तु नये चुनाव होकर पचांयतें पुर्नगठित हो जाने के समय तक के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.06.1991 के अनुसार प्रशासन को पटटे जारी करने का अधिकार हासिल था (तत्समय पंचायतें भंग होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1553 दिनांक 19.06.1991 के अनुसार पंचायत में निहित सभी शक्तियां प्रशासन के रूप में ग्राम सेवक में निहित हो गई थी) तथा प्रशासन पटटे जारी करने हेतु अधिकृत था। पटटे नियमानुसार आबादी क्षेत्र में जारी किये गये है जो जोहड़ पायतन की भूमि के नहीं है इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि आबादी की है। उक्त तथ्यों की जांच सही तौर से मातहत अदालत ने नहीं की है ना ही राजस्व रिकार्ड व तहसील से राजस्व रिकार्ड तथा नजरी नक्शा आदि जमाबन्दी कुछ भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। राजस्व रिकार्ड के बिना मातहत अदालत ने मौखिक Finding फाईण्डिंग जोहड़ की ही है जो अनुचित गलत व विधि विरूद्ध है।

7 मातहत अदालत ने ग्राम पंचायत का रिकार्ड ही तलब नहीं किया तथा पंचायत का पुराना पटटों का रिकार्ड कहा है इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य नहीं ली ना ही ग्राम सचिव ने इस सम्बन्ध में कोई ब्यान लिये पंचायत का रिकार्ड तलब करवाने में मातहत अदालत की कोई चेष्टा/रूची नहीं रही बिना रिकार्ड तलब

अतिरिक्त जिला कलक्टर3
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

किये मातहत अदालत का निर्णय एक पक्षीय गैर कानूनी व विधि की अवहेलना में है जो अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण संख्या 6/19 बअनवानी हंसराज आदि बनाम अमरचन्द आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं रिकार्ड की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण संख्या 6/19 बअनवानी हंसराज आदि बनाम अमरचन्द प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पटटे जारी किये गये थे। दिनांक 04.12.1972 को प्रार्थी अमरचन्द को पटटा जारी किया गया था व प्रार्थीगण 2, 3, 4 के पक्ष में दिनांक 25.10.1991 को 75 गुणा 100 फुट के पट्टे जारी किय गये थे। इन पट्टो के विरूद्ध हंसराज ने अपील कर इस जमीन को जोहड़ की जमीन बताया। अपील स्वीकार कर पटटे खारिज कर दिये चार पट्टे थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा अलग–अलग आदेश की चार अलग – अलग अपील होनी चाहिए थी परन्तु एक अपील पेश कर एक ही आदेश जारी किया गया । अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज हो जानी चाहिए थी, यह अपील Limitation में नहीं थी इस बिन्दु को नजर अन्दाज किया गया। अपीलांट सभी चारों मेरे पट्टो से प्रभावित नहीं थें इनको अपील का अधिकार भी नहीं था। 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि हमारे पट्टे आबादी भूमि में जारी किये गये है। 2015 से 2015 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 165 की 69 बीधा 8 बिस्वा आबादी भूमि दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 82 है जो 23 डीपीएन में है जो कि आबादी में दर्ज है व कुल रकबा 220 बीधा 12 बीस्वा है। तहसीलदार की 05.09.2019 की रिपोर्ट हमने पेश की है, जिसमें 23 डीपीएन में आबादी भूमि दर्ज है, जोहड़ दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में कहीं पर भी जोहड़ दर्ज नहीं है। निर्णय में खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चार सदस्यों की समिति बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय किया है। RLW 1984 पेज न 393 का दृष्टांत देकर बताया की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रिकार्ड तलब करना जरूरी था । दिनांक 19.6.1991 को ग्राम पंचायत की शक्तियां प्रशासन को दे दी गई थी। प्रशासन को पट्टे जारी करने का अधिकार था पंचायत का रिकार्ड तलब किये बिना Trial Count ने निर्णय पारित कर दिया । नये सरपंच निर्वाचित हो चुके है उन्हें सुना जाना जरूरी है। पंचायतें भंग हो चुकी है। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जोहड़ पायतन की भूमि का आवंटन किया है ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। पूर्व दृष्टांत 2013 Vol.I RRT पेज न0 659 के अनुसार अलग– अलग आदेशों की अलग–अलग अपील होनी चाहिए। RRD 1970 पेज न0 646 सेक्सन 9 पेश कर बताया है की जलप्रवाह सम्बन्धि कोई मामला है तो सिवील कोर्ट सुनेगाा। निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करें।

अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया की ये चार अपीलें पेश करने की रूलिंग्स पेश की है, ये राजस्व न्यायालयों पर लागू होती है अधीनस्थ न्यायालय राजस्व न्यायालय नहीं है। राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनवाई हो रही है। चारों में एक ही प्रकार का प्रकरण समान पक्षकार, समान ही निर्णय हो तो एक ही अपील पेश कर सकते है। ये हमें पिड़ित पक्षकार नहीं मानतें जबकि सार्वजनिक हित के मामले में सभी पिड़ित पक्षकार है। नियम 145–149 में पटटे जारी करने की प्रकिया है पंचायतें हमें अधिकृत नहीं करती है। प्रार्थी को जारी पटटों का पंचायत में कोई रिकार्ड ही नहीं है यदि ऐसा कोइ रिकार्ड होता तो ये पेश करते, बिना रिकार्ड के ये पट्टे काबिल खारिज है। विजिलेंस समिति की रिपोर्ट से निर्णय नहीं हो सकता है जबकि पंचायत निर्णयों में मौका देखने का प्रावधान है इसी के आधार पर निर्णय हुआ है यह अलग से लागु नहीं होता है। पंचायत अधिनियम से संबधी कोई रूलिंग्स इनके द्वारा पेश नहीं की गई है। ये 1991 में पंचायत की शक्तियां प्रशासक को देना बताते है किन्तु इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। प्रशासन, प्रधानाध्याप व पटवारी को मिलाकर ऐसी किसी कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने पेश नहीं की, बिना इस समिति की राय पट्टे कैसे जारी हो सकते है व प्रशासकों को आबादी भूमि विक्रय का अधिकार ही नहीं था। प्रशासन एवं स्थापना समिति का निर्णय सहीं है। जोहड़ की जमीन में पट्टे जारी करने का प्रकरण सिविल कोर्ट का नहीं हमारा है, ये आबादी की जमाबंदी पेश करने की बात कहते है जबकि जोहड़ इस आबादी भूमि में ही है जिसके पट्टे जारी नहीं हो सकते है। RRD 1983 पेज न0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

617 दृष्टांत पेश कर बताया की जब इन्होनें जोहड़ पायतन में मिटटी डालकर भराव करने की कोशिश की तब पट्टा जारी होना जाहिर हुआ हमें ज्ञान हुआ हमने अंदर मियाद अपील पेश की। नये सरपंच को सुनना जरूरी नहीं है, अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। पट्टे सही खारिज किये है, जनहित में खारिज किये है। इनकी निगरानी खारिज फरमायी जावें।

प्राथीगण अधिवक्ता ने पुनः अपनी बहस में बताया की कोई रिकार्ड पेश नहीं किया तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है ये तो प्रशासन स्थापना समिति तलब करती है। इन्होंने जो नक्शा पेश किया वह ग्राम सेवक ने बनाकर पेश किया ग्राम सेवक ने यह नक्शा कहा से लिया इसका कोई रिकार्ड नहीं है। हमने राजस्व नक्शा पेश किया है जिसमें जोहड़ होना साबित नहीं होता है। इन्होने बिना तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट लिये यह कैसे तय कर लिया कि कौनसा पट्टा जोहड़ पायतन में है यह कैसे पता किया। ये तो पटवारी ही बता सकता है जिससे रिपोर्ट ही नही ली है। सिविल कोर्ट में हमने दावें पेश किये थे किन्तु हमने वापस ले लियें, कोई मैरिट पर निर्णय नहीं हुआ था। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटोकोपी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता संख्या 1 श्री अमरचंद को ग्राम पंचायत द्वारा 04.12.1972 को भूमि विक्रय अभिलेख जारी किया गया था। जिस पर हस्ताक्षर सरपंच, नायब सरपंच, नक्शा नवीश व सचिव के हस्ताक्षर है एवं निगरानीकर्ता स0 2,3 व 4 को दिनांक 25.10.1991 को भूमि विक्रय अभिलेख जारी किया गया जिस पर प्रशासक के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त पटटे अत्यधीक पुराने है। निगरानीकर्ता संख्या 1 को जारी किया गया पटटा लगभग 47 वर्ष पुराना है व निगरानीकर्ता स0 2,3 व 4 को जारी किया गया पटटा लगभग 28 वर्ष पुराना है। पंचायम समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा इन पटटो को सार्वजनिक जोहड़ की जगह पर जारी किये जाने व उक्त पटटो का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर नियम विरूद्ध मानते हुए खारिज किया गया है जबकि जारी किये गये पटटों की फोटोकोपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री अमरचन्द के नाम जारी पटटे की मिसल तैयार की गई थी जिसकी संख्या 334 अंकित है और दायर तारीख 19.05.1972 है, फैसला दिनांक 04.09.1972, जमा राशी की रसीद संख्या 86 दिनांक 04.10.1972 एवं पटटा जारी करने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 04.12.1972 भी अंकित है एवं पट्टे पर सरपंच, नायब सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर भी है। श्री अनोखाराम को जारी पटटे की मिसल संख्या 655 दायर तारीख 05.04.1991, संकल्प संख्या 03 दिनांक 09.06.1991 एवं रसीद संख्या 30 दिनांक 25.10.1991 और पटटा जारी करने की दिनांक 25.10.1991 अंकित है, श्री सुगनाराम को जारी पटटे की मिसल संख्या 654 दायर दिनांक 05.04.1991, सकल्प संख्या 03 दिनांक 09.06.1991, जमा रसीद संख्या 29 दिनांक 25.10.1991 और पटटा जारी करने की दिनांक 25.10.1991 अंकित है एवं श्री श्योकरण को जारी पटटे की मिसल संख्या 653 दायर दिनांक 05.04.1991, संकल्प संख्या 03 दिनांक 09.06.1991 एवं रसीद संख्या 28 दिनांक 25.10.1991 एवं पटटा जारी करने की दिनांक 25.10.1991 अंकित है। इनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतित होता है कि पंचायत के द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपना करके इन पटटों को जारी किया गया है। पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति ने जारी किये गये पटटो की भूमि सार्वजनिक जोहड़ है या नहीं इसका निर्धारण केवल मौके का निरीक्षण करने वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है ना की किसी भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार नोहर के पत्रांक 2832 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सवत् 2072–75 में जोहड़ भूमि दर्ज नहीं है एवं खसरा नम्बर 82 गैर मुमकिन आबादी ही दर्ज है। इन परिस्थितियों में पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के द्वारा बिना भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों के केवल मौका निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर उक्त पटटो की भूमि को जोहड़ पायतन मानना विधि सम्मत नहीं है। इसके साथ ही चार अलग–अलग पटटों के आदेश को एक ही अपील के माध्यम से निरस्त किया गया है जो भी विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निर्णय पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज किया है जो उचित नहीं है अतः पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें। निर्णय की प्रति पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित कि जावे।

5/2/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official